न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, L.A.S.

प्रकरण संख्या —28 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 35

1. श्रीमति लालवती पत्नि स्व0 श्री दुर्गादास, पता म0नं0 454 हनुमान बस्ती दादाबाडी कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र दुर्गादास
2. श्रीमति कौशल्या उर्फ मुन्नी पत्नी नवल किशोर जाति बैरागी निवासी 454, हनुमान बस्ती दादाबाडी कोटा
3. अनिल कुमार जैन निवासी 1 आई 23 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा
4. नितिन उर्फ भोला पुत्र श्री नवल किशोर जाति बैरागी निवासी 454 हनुमान बस्ती दादाबाडी कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 25.10.2024 उनवान दुर्गादास वगै0 बनाम नवल किशोर वगै0 मि0नं0 34 / 2023

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र व्यास अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—05.08.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट दुर्गादास पुत्र सुन्दरदास एवं श्रीमति लालवती पत्नी श्री दुर्गादास के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 25.10.2024 को आदेश पारित किया, है कि—" अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान 454 हनुमान बस्ती दादाबाडी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करें एवं उपरोक्त वर्णित मकान 454 हनुमान बस्ती दादाबाडी कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।
2. उक्त आदेश दिनांक 25.10.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.02.2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ जरिये अभिभाषक पेश की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नरेन्द्र व्यास अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ । दौराने बहस अपीलांट एवं वकील अपीलांट अनुपस्थित है, वकील अपीलांट को अवसर दिया गया किन्तु बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाने हेतु अपील मेमों ही बहस मानते हुए वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी ।

3. अपीलांट ने अपील मेमों में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन गैर कानूनी रूप से मामाने तौर पर खारिज फरमाने में त्रुटि की है । अपीलांट के पति दुर्गादास का दिनांक 2.7.2024 को देहान्त हो जाने से अपीलांट विधवा व बेसहारा महिला के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है तथा प्रत्यर्थीगण के अत्यधिक प्रताडित किये जाने से अपीलांट अवसाद में थी इसी कारण से निर्धारित समयावधि में अपीलांट अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी जो कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी उसने जानबूझकर नहीं की है जो सद्भाविक होने से क्षम्य है । अपीलांट के स्व0 पति द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिपक्षी संख्या 1,2 व 4 को दिनांक 26.6.2024 को बेदखल कर दिया गया है जिसकी बेदखलीनामा 24.6.2024 को 500/– के स्टाम्प पर आलेखित कर दो गवाहों की उपस्थिति में नोटेरी से तस्दीक करवा रखा है तथा समाचार पत्र में भी बेदखली की सूचना प्रकाशित करवा दी गई थी । अपीलांट के स्व0 पति द्वारा अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत भी दिनांक 24.6.2024 को आलेखित कर उसे नोटेरी से निष्पादित करवा दिया गया था जिसमें भी प्रतिपक्षी संख्या 1,2 व 4 को कोई अधिकार नहीं दिये गये है । अपीलांट, एक 72 वर्षीय विधवा महिला है इस उम्र में भी स्वयं को खाना बनाना पडता है बीमारी में भी कोई देखभाल नहीं करता है जबकि रेस्पो0 संख्या 1,2 व 4 उसके साथ मारपीट करते है तथा धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते है कई बार पूरी रात घर के बाहर गुजारनी पडी है । वर्तमान में भी दिनांक 20.01.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 ने मारपीट कर घर से कडाके की सर्दी में घर से बाहर निकाल दिया, पूरी रात सडक पर गुजारनी पडी थी । रेस्पो0 अनिल धमकाता है कि बुढिया चुपचाप इस घर से चली जा, नहीं तो मैं तुझे मरवा दूंगा मेरी राजनीति में बहुत पहुंच है तू हम सबका कुछ नहीं बिगाड सकती । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें तथा प्रार्थी अपीलांट को अप्रार्थीगण रेस्पो0 से अपने भरण पोषण व जीवन यापन हेतु 10,000/– प्रतिमाह दिलवाये जावें अथवा अप्रार्थीगण रेस्पो0 को प्रार्थी अपीलांट के उक्त मकान से बेदखल कर पुलिस सहायता बाहर निकलवाया जावें और झगडा मारपीट नहीं करें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रतिपक्षी रेस्पोडेन्ट नं0 2 अपने पति प्रतिपक्षी रेस्पोडेन्ट नं0 1 के साथ पति पत्नी के रूप में इसी मकान में निवास करती चली आ रही है, जहां प्रतिपक्षी रेस्पोडेन्ट नं0 4 का जन्म हुआ है । रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने हमेशा अपने सास ससुर अपीलांट की सेवा सुश्रुषा करती चली आ रही है । अपीलांट के साथ कभी भी गाली गलोच व बुरा बर्ताव नहीं किया और उनको मकान से निकालने की कोई धमकी नहीं दी है । महान बहुत बडा है जिसमें तीन लेटबाथ व 6 कमरे बने हुए है तीन कमरे अपीलांट के पास व तीन कमरे रेस्पोडेन्टगण के पास है, बीच मे बडा चोक है, अपीलांट रेस्पोडेन्टगण को घर से बाहर निकालना चाहते है इस हेतु उन्होने लेट बाथ पर ताला लगा दिया व पानी का नल भी बन्द कर देते है, पानी नहीं भरने देते है लेट–बाथ के लिये बाहर सरकारी लेटरीन में जाना पडता है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 को बाहर से पानी लाना पडता है तथा प्रार्थी अपीलांट ने रेस्पोडेन्टगण का रहना व जीना दूभर कर रखा है । अपीलांट नं0 2 विवाह के बाद से ही इसी मकान में निवास करती चली आ रही है और झाडू पोचा कर अपनी गृहस्थी को चला रही है, यदि रेस्पोडेन्टगण को मकान से बेदखल कर दिया गया तो रेस्पोडेन्टगण बेघर बार हो जावेंगे । रेस्पोडेन्ट नं0 3 की ओर से अभिभाषक द्वारा कथन किया है कि प्रतिपक्षी नं0 3 उक्त मकान में निवास नहीं करता है । प्रतिपक्षी नं0 3 ने कीी भी उक्त पेंशन की राशि को उसको देने को नहीं कहा तथा प्रतिपक्षीनी नं0 2 ने हमेशा अपने अपीलांट की सेवा सुश्रूषा करती चली आ रही है, प्रार्थीया अपीलांट के साथ कभी भी गाली गलोच व बुरा बर्ताव नहीं किया है । प्रतिपक्षी नं0 3 ने अपीलांट को मकान से निकलने की कोई धमकी नहीं दी है । प्रार्थीगण अपीलांट ने यह प्रार्थना पत्र एवं अपील किसी अन्य के बहकावे में आकर प्रस्तुत किये है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.10.2024 के विरूद्व दिनांक 05.02.2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो निर्धारित मियाद 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं है । किन्तु प्रस्तुत अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अपीलांट व उनके पति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पति दुर्गादास की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो चुकी है । प्रस्तुत अपील अपीलांट लालवती द्वारा प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्टगण की बेदखली की प्रार्थना की है । अपीलांट ने अपील मे तथ्य अंकित किये है कि अपीलांट के स्व0 पति द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिपक्षी संख्या 1, 2 व 4 को दिनांक 26.6.2024 को बेदखल कर दिया गया है जिसकी बेदखलीनामा 24.6.2024 को 500/– के स्टाम्प पर आलेखित कर दो गवाहों की उपस्थिति में नोटेरी से तस्दीक करवा रखा है तथा समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवा दी गई थी । अपीलांट के स्व0 पति द्वारा अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत भी दिनांक 24.6.2024 को आलेखित कर उसे नोटेरी से निष्पादित करवा दिया गया था जिसमें भी प्रतिपक्षी संख्या 1,2 व 4 को कोई अधिकार नहीं दिये गये है । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील के साथ प्रस्तुत वसीयत एवं बेदखलीनामा को फर्जी बताया गया है ।
6. अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 24.6.2024 अनुसार दुर्गादास जी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति एवं बैंक खातों में जमा रकम पुत्रीयां लक्ष्मी देवी, सुनीता, संतोष, के हक में निष्पादित की है, अपीलांट के पति ने वसीयत अपनी पुत्रियों के नाम करके रेस्पोडेन्टगण को उक्त वर्णित मकान से इस अपील के जरिये बेदखल कराना चाहते है । इससे प्रकरण प्रथम दृष्टया माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत नहीं आता है, अपीलांट ने अपील में अपने भरण पोषण आदि की प्रार्थना नहीं कर केवल अपनी सम्पत्ति अपनी पुत्रियों के नाम की गई वसीयत का कब्जा दिलाने की प्रार्थना है तथा इस अपील के जरिये रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर अपनी पुत्रियों को सम्पत्ति का कब्जा संभलाना चाहते है । वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट की बेदखली इस अपील के जरिये सम्भव नहीं है, इसके लिए अपीलांट सक्षम न्यायालय से जरिये वाद के राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा इस अपील मे रेस्पोडेन्ट की बेदखली का चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।
7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2024 यथावत रखा जाता है ।
8. निर्णय आज दिनांक 05.8.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा